संख्या-5/2018/1150/96-आयुष-1-2018-389/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 21 मार्च , 2018**

विषय- राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवीन परिसर में स्थापित ट्यूबवेल के रिबोर कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2287/यू0नि0/योजना-940/2017-18; दिनांक 17.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवीन परिसर में स्थापित ट्यूबवेल के रिबोर कार्य हेतु यूनानी निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के यूनिट-50, बाराबंकी द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आगणित लागतों धनराशि रू0-18.03/32.50 लाख के सापेक्ष आयुष अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2423/96-आयुष-1-2017-403/2016, दिनांक 06.07.2017 द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-18.03 लाख (रूपया अट्ठारह लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-33 के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 06-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, 00 के मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-311.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-18.03 लाख (रूपया अट्ठारह लाख तीन हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(3) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण कराया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाक घर/पी0एल0ए में नहीं रखा जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों के इस्तेमाल आदि में कोई परिवर्तन समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य, जिनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है, निर्माण के समय उनके क्रय एवं स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अनुभाग-2 के पत्र संख्या-एस03ओ0-540/18-2-2017-97(ल030)/2016,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 25 अगस्त, 2017 एवं पत्र संख्या-14/2017/552/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के अंतर्गत जेम पोर्टल से रेट कान्ट्रैक्ट की दरों पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसूचित दरों में सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें प्रथमत: जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जाये। यदि वांछित सामग्री जेम पोर्टल पर उपलब्ध न हो, तो उसे बाजार/कोटेशन के आधार पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत क्रय किया जाये।

(10) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों में कार्य के पूर्व/कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स, साइट के फोटोग्राफ्स तथा निर्माणाधीन/पूर्ण भवन की डिजिटल फोटो को ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो, इस हेतु सक्षम स्तर के थर्ड पार्टी से जांच/निरीक्षण कराया जाये और उसकी जांच रिपोर्ट शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य की होगी तथा कार्यदायी संस्था/संस्थाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत रिबोर कार्य बाजार दर से अधिक दर पर सम्पन्न नहीं किया गया है।

(14) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(15) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(16) उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-201/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाये। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के स्वीकृति आदेश में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये।

(18) आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-33** के पूंजी लेखा के लेखाशीर्ष : **4210**-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, **01**-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, **800**-अन्य व्यय, **06**-यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल, **00** के मानक मद **24**-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

मुकेश कुमार मेश्राम
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2018/1150(1)/96-आयुष-1-18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ।
(6) महाप्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।